# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिह रतनू** आर.ए.एस.
अनवान :– **विविध प्रकारण संख्या 187/2018**

नत्था सिंह पुत्र शेर सिंह जाति रायसिख निवासी 1 जे बड़ा खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज)

— **प्रार्थी**

**–:: बनाम ::–**

1. शेर सिंह पु श्री रंगा सिंह जाति रायसिख निवासी 1 जे बड़ा खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. शमशेर सिंह पुत्र श्री रंगा सिंह जाति रायसिख निवासी 1 जे बड़ा खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
4. पंकज कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति अरोड़ा निवासी चक 1 जे बड़ा खाटलबाना हाल मकान नम्बर 110, सिन्धी कॉलोनी, यूआईटी के सामने, श्रीगंगानगर (राज0)

— — अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

| | |
|---|---|
| 1. श्री रमेश सिंह | — — प्रार्थी |
| 2. श्री राजेश गुम्बर | — — अप्रार्थी 1, 2, 4 |
| 3. पैरोकार राज | — — अप्रार्थी 3 |

**–:: आदेश ::–**

दिनांक :– 06.03.2020

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में ...त किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी के नाम से तहसील श्रीगंगानगर ...क 1 जे बडा (खाटलबाना) का मु० नं0 41 का खाता संख्या नया 35 पुराना खाता ... 29 के किला न0 3, 8, 13, 18, 23 की कुल 5 बीघा कमाण्ड खातेदार कृषि भूमि है ... प्रार्थी की भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी संख्या 1 शेरसिंह के नाम से ...ल श्रीगंगानगर के चक 1 जे बडा (खाटलबाना) का मु0 नं0 41 का किला न0 5, ...6,25 की कुल 5 बीघा कनाडु खातेदार कृषि भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 2 शमशेरसिंह के ... तहसील श्रीगंगानगर के चक 1 जे बडा (खाटलबाना) का मु0 नं0 41 का किला न0 ...17,24 की कुल 5 बीघा कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। प्रार्थी को ... खातेदारी भूमि तहसील श्रीगंगानगर के चक 1 जे बडा (खाटलबाना) का मु0 नं0 41 ... संख्या नया 35 पुराना खाता संख्या 29 के किला 38.13,18,23 की कुल 5 बीघा ... खातेदार कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता स्वीकृत नही है तथा प्रार्थी को ... रास्ता नही होने के कारण अपनी कृषि भूमि में आने जाने एंव कृषि कार्य करने के ...ानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए

अप्रार्थी संख्या 1 शेरसिंह के किला न0 5 में 2 बिस्वा तथा अप्रार्थी संख्या 2 शमशेरसिंह के किला न0 4 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है ताकि प्रार्थी अपने रकबा चक 1 जे बडा (खाटलबाना) का मु0 नं0 41 का खाता संख्या नया 35 पुराना खाता संख्या 29 के किला न0 3,8,13,18,23 की कुल 5 बीघा कमाण्ड खातेदार कृषि भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 के किला नं0 5 तथा अप्रार्थी संख्या 2 के किला नं0 4 में से होकर अपनी कृषि भूमि में प्रवेश कर सके। प्रार्थी की कृषि भूमि में आने–जाने का और कोई रास्ता नही है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के रकबा में से अप्रार्थी संख्या 1 के किला नं0 5 में 2 बिस्वा तथा अप्रार्थी संख्या 2 के किला नं0 4 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने का विधिक अधिकारी है तथा प्रार्थी अप्रार्थीगण को भूमि की कीमत देने को तैयार है तथा प्रार्थी को अपनी भूमि में आने–जाने के लिए अप्रार्थीगण के रकबा मे से अप्रार्थी संख्या 1 के किला नं0 5 तथा अप्रार्थी संख्या 2 के किला नं. 4 के शिवाय अन्य कोई रास्ता नही है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक 1 जे बडा (खाटलबाना) का मु0 नं0 41 का खाता संख्या नया 35 पुराना खाता संख्या 29 के किला न0 3, 8, 13, 18, 23 की कुल 5 बीघा कमाण्ड खातेदार कृषि भूमि में आने–जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के किला नं0 5 में 2 बिस्वा तथा अप्रार्थी संख्या 2 के किला नं0 4 में 2 बिस्वा का रास्ता स्वीकृत करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में इसका अंकन किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार अप्रार्थी की दर्ज कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है एवम् अप्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि के अलावा कृषि भूमि नही है। क्योंकि प्रार्थीगण को अपनी कृषि के लिये अन्य रास्ता आने जाने के लिये है। इसलिये प्रार्थी अपनी सुविधा अनुसार रास्ता स्वीकृत नही करवा सकता एवम् मुझ अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर कोई रास्ता नही चल रहा है। क्योंकि प्रार्थीगण को अन्य रास्ता है एवम् प्रार्थीगण अपनी सुविधानुसार रास्ता स्वीकार करवाना चाहते है जो कि कानून गलत है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे रिकार्डिड रास्ता नही चल रहा है ना ही रास्ता स्वीकार किया किया जा सकता है। अतिरिक्त आपतियां: जिस स्थान पर प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है, उस स्थान पर बिजली का ट्रास्मीटर लगा हुआ है, जिससे 11000 वोल्टेज की तारें निकलती है। माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल सिद्वान्त परिपादित किये गये है कि कोई भी काश्तकार अपनी सुविधा अनुसार रास्ता स्वीकृत नहीं करवा सकता एवम् कानून की भी यही मन्शा है। मौका की रिपोर्ट किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पेश नही की गई है। रिपोर्ट तहसीलदार वा गिरदावर की उपस्थिति मे बनाई जावेगी व हस्ताक्षरित होगें एवं प्रभावित काश्तकारों को मौका बुलाया जाके ना ही नियम 69 की पालना की गई है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा दिनांक26.11.2018 को प्रार्थना पत्र ओदश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पेश कर अप्रार्थी पंकज कुमार को अप्रार्थी संख्या 4 बनाये जाने का निवेदन किया गया जिसका जवाब अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दिया गया। प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 4 के रूप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में पंकज कुमार को अप्रार्थी संख्या 4 प्रतिस्थापित किया गया।

अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी दिनांक 28.02.2020 को जवाब अप्राथी बंद कर बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषकण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त :–

NOTIFICATION [क्रमांक एर्फ 3(2) रेवे–6/03पार्ट/7 दिनांक 2.3.2012]
[Citation :2017DNJ(Revenue) 1],
2018-19(Supp.) RRT 576,
2016(2) RRT 1281,
RRD- 14.08.2017 Pritam Singh V/s Menpal & Anr. 515 पेश किये गये।

तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर की रिपोर्ट अनुसार चक 1 जे बडा के मु.नं. 41 के किला नम्बर 5 के कोने तक मु.नं. 41 के लिए रास्ता स्वीकृत है। इसी रास्ते से आगे प्रार्थी के रकबा के लिए मु.नं. 41 के किला नं. 4 व 5 में से रास्ता सुविधाजनक है। प्रार्थी के रकबा के रास्ते के लिए अन्य विकल्प नहीं है। मौका पर मु.नं. 41 के किला नं. 4, 5 में खेती होती है। कोई मकान नहीं बने हुए है। सरकारी खाला के साथ–साथ पीन ले जाने के लिए खाला की आड है। उसके साथ साथ रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। पत्रालवी पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट एवं अप्रार्थी–1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब, प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन कर न्यायिक दृष्टान्तों एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ते का अभाव है, एवं प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 जे बडा (खाटलबाना) का मु0 नं0 41 का खाता नया 35 पुराना खाता संख्या 29 के किला न0 3, 8, 13, 18, 23 की कुल 5 बीघा कमाण्ड खातेदार कृषि भूमि में आने–जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के किला नम्बर 5 में 2 बिस्वा तथा अप्रार्थी संख्या 2 के किला नम्बर 4 में 2 बिस्वा का रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपने स्तर से वितरित करेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 06.03.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर